GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF DEFENCE
ORDNANCE FACTORY BOARD
AYUDH BHAVAN
10-A, SHAHEED KHUDIRAM BOSE ROAD
KOLKATA-700 001

OFB

TEL : (033) 22485077-80 | FAX:(033) 22487822

288/RR/SRO/Fireman/Per/NI

Date 06/02/2019

To
The Sr. General Manager / General Manager
All Ordnance & Ordnance Equipment Factories

Sub : Framing of SRO in respect of Leading Fireman and Fireman (Group 'C' post) posts in Ordnance and Ordnance Equipment Factories and other offices and establishments in Ordnance Factories Organisation.

****

Please find enclosed herewith a copy of Gazette Notification vide notifying publication of SRO 39 dated 02nd May, 2018 for the post of Leading Fireman and Fireman (Group 'C' post) posts in terms of the instructions contained in DoPT OM No. AB-14017/61/2008-Estt(RR) dated 27.02.2015, the notified recruitment Rules for the post(s) mentioned as above of earlier SRO related to the above posts circulated for information and necessary action please.

Kindly acknowledge receipt.

Encl.: Copy of SRO 39 Dated 02nd May, 2018.

(H.K.Paikra)
DIR/IR
For Director General, Ordnance Factories

Copy to :-
1. Chairman's Sectt., OFB Kolkata.
2. All Members, OFB Kolkata.
3. The Addl. DGOF/AV Hqrs. Avadi.
4. The Addl. DGOF/OEF Hqrs, Kanpur.
5. Sr. Principal Director, NADP, Ambajhari.
6. Principal Director /OFILs, RCSs, RMCs & OFRC.
7. Principal Controller of Accounts (Fys), Kolkata
8. Section : Per/NG, Per/Policy and Per/IR.
9. All Staff side Members of JCM-III level.
10. Instruction File.

रजिस्ट्री सं. डी. एल. (एन) 04/0007/2003—05

REGD. NO. D. L. (N) 04/0007/2003—05

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

साप्ताहिक

WEEKLY

सं. 12] नई दिल्ली, जून 3—जून 9, 2018, शनिवार/ज्येष्ठ 13—ज्येष्ठ 19, 1940

No. 12] NEW DELHI, JUNE 3—JUNE 9, 2018, SATURDAY/JYAISTHA 13—JYAISTHA 19, 1940

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 4
PART II—Section 4

रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश
Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence

रक्षा मंत्रालय

नई दिल्ली, 1 मई, 2018

का.नि.आ. 37.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय वायु सेना सिविलियन तकनीकी पर्यवेक्षीय पद समूह 'ख' (अराजपत्रित) भर्ती नियम, 2005, को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है, या करने का लोप किया गया है, रक्षा मंत्रालय, भारतीय वायु सेना में फोरमैन के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ** : (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय वायु सेना सिविलियन तकनीकी पर्यवेक्षीय (फोरमैन), समूह 'ख' पद भर्ती नियम, 2018 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर** : पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा, जो इन नियमों सें उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु–सीमा, अर्हताएं आदि** : उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु–सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता** : वह व्यक्ति –

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित हैं, विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है ; या

(2) Representative of Specialist Directorate not below the rank of Squadron Leader or equivalent and unconnected with the Establishment, Air Headquarters – **Member;** (3) Joint Director/ Deputy Director Personnel Civilians (Departmental Promotion Committee Section), Air Headquarters – **Member.** **Group 'B' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of :** (1) Principal Director Personnel Civilians, Air Headquarters - **Chairperson;** (2) Representative of Specialist Directorate not below the rank of Squadron Leader or equivalent and unconnected with the Establishment, Air Headquarters – **Member;** (3) Joint Director/ Deputy Director Personnel Civilians (Departmental Promotion Committee Section), Air Headquarters – **Member.**	

[F. No. Air HQ/23049/SA/RR/PC-RRs & Sports/92/D(Apptts)]

BISWAJIT GUHA, Under Secy.

नई दिल्ली, 2 मई, 2018

का.नि.आ. 39.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए रक्षा मंत्रालय भारतीय आर्डनेंस फैक्ट्री, लीडिंग फायरमैन और फायरमैन समूह 'ग' पद भर्ती नियम, 2012 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं अर्थात:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.** – (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम रक्षा मंत्रालय भारतीय आर्डनेंस फैक्ट्री, लीडिंग फायरमैन और फायरमैन समूह 'ग' पद भर्ती (संशोधन) नियम, 2018 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. रक्षा मंत्रालय, भारतीय आर्डनेंस फैक्ट्री, लीडिंग फायरमैन और फायरमैन समूह 'ग' पद भर्ती नियम, 2012 में -

(1) नियम 3 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात :-

"3. **पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में वेतन स्तर.** – उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं";

(2) उक्त अनुसूची में, -

(क) लीडिंग फायरमैन के पद से संबंधित क्रम संख्या 1 के सामने,-

(i) स्तंभ (4) में, स्तंभ शीर्षक और इससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित स्तंभ शीर्षक और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात:-

"वेतन मैट्रिक्स में स्तर
(4)
स्तर -3 (21700-69100 रु.)";

(ii) स्तंभ (11) में, प्रविष्टियों के स्थान पर "वेतन बैंड – 1, 5200-20,200 रु. और ग्रेड वेतन 1900 रुपए", के स्थान पर प्रविष्टियां, "वेतन मैट्रिक्स में स्तर 2 (19900-63200 रु.)" रखी जाएगी ;

(ख) फायरमैन के पद से संबंधित क्रम संख्या 2 के सामने, स्तंभ (4) में प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात :-

"स्तर -2 (19900-63200 रु.)".

[फा. सं. 41(5)/2018-डी (स्था./एनजी)]

संजय रावत, अवर सचिव

पाद टिप्पण : मूल नियम, भारत के राजपत्र, भाग II, खंड 4, तारीख 26 मई, 2012 में अधिसूचना संख्या का.नि..आ. 32, तारीख 4 मई, 2012 द्वारा प्रकाशित किए गए थे ।

New Delhi, the 2nd May, 2018

S.R.O. 39.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules to amend the Ministry of Defence, Indian Ordnance Factories, Leading Fireman and Fireman Group 'C' Post Recruitment Rules,2012, namely .-

1. **Short title and commencement. -** (1) These rules may be called the Ministry of Defence, Indian Ordnance Factories, Leading Fireman and Fireman Group 'C' Post Recruitment (Amendment) Rules, 2018.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Ministry of Defence, Indian Ordnance Factories, Leading Fireman and Fireman Group 'C' Post Recruitment Rules, 2012, -

(1) for rule 3 the following rule shall be substituted, namely :-

"3. Number of posts, classification and level in the pay matrix. - The number of the said posts, their classification and the level in the pay matrix attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the said Schedule.";

(2) in the Schedule,-

(a) against serial number 1, relating to the post of Leading Fireman,-

(i) in column (4), for the column heading and the entries relating thereto, the following column heading and entries shall be substituted, namely :-

"Level in Pay Matrix
(4)
Level- 3 (Rs. 21700-69100)" ;

(ii) in column (11), for the entries "pay band-1, Rs.5200-20200 and grade pay of Rs. 1,900", the entries "Level 2 (Rs.19900-63200) in the Pay Matrix" shall be substituted;

(b) against serial number 2, relating to the post of Fireman, in column (4), for the entries, the following entries shall be substituted, namely :-

"Level- 2 (Rs.19900-63200)".

[F. No. 41(5)/2018-D(Estt./NG)]

SANJAY RAWAT, Under Secy.

Foot note. - The Principal rules were published vide notification number S.R.O. 32, dated the 4th May, 2012 in the Gazette of India, Part-II section 4 dated the 26th May, 2012.

(रक्षा अनुसंधान तथा विकास विभाग)

नई दिल्ली, 17 अप्रैल, 2018

का.नि.आ. 40.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, रक्षा मंत्रालय, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, ज्येष्ठ सहायक (हिन्दी) और सहायक (हिन्दी) समूह 'ख' पद भर्ती नियम, 2013 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ-** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम रक्षा मंत्रालय, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, ज्येष्ठ सहायक (हिन्दी) और सहायक (हिन्दी) समूह 'ख' पद भर्ती (संशोधन) नियम, 2018 है।

2. ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. रक्षा मंत्रालय, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, ज्येष्ठ सहायक (हिन्दी) और सहायक (हिन्दी) समूह ख पद भर्ती नियम, 2013 की अनुसूची में

(i) स्तंभ (1) में "पद का नाम" शीर्ष के अधीन "ज्येष्ठ सहायक (हिन्दी)" और "सहायक (हिन्दी)" प्रविष्टियों कें स्थान पर क्रमश: "ज्येष्ठ अनुवादक" और "कनिष्ठ अनुवादक" प्रविष्टियां रखी जाएंगी।

(ii) "ज्येष्ठ सहायक (हिन्दी)" के पद के सामने स्तंभ (11) के अधीन "सहायक (हिन्दी)" प्रविष्टियों के स्थान पर "कनिष्ठ अनुवादक (तत्कालीन सहायक (हिन्दी)") प्रविष्टियाँ रखी जाएगी।

[फा. सं. मासंविनी/76239/भर्ती नियम/हिंदी/सी/पी/02/395/डी(अनु एवं वि)/2018]

हर्षा रानी, अवर सचिव

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र, भाग- II, खण्ड-4 में का.नि.आ. 34 तारीख 27 मई, 2013 द्वारा प्रकाशित किए गये थे और तत्पश्चात भारत के राजपत्र भाग-II, खंड-4 तारीख 6 मई, 2017 में प्रकाशित अधिसूचना का.नि.आ. 33 तारीख 13 अप्रैल, 2017 द्वारा संशोधित किया गया।

(Department of Defence Research and Development)

New Delhi, the 17th April, 2018

S.R.O. 40.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Ministry of Defence, Defence Research and Development Organisation, Senior Assistant (Hindi) and Assistant (Hindi) Group 'B' posts Recruitment Rules, 2013, namely:-

1. (1) **Short title and commencement.-** These rules may be called the Ministry of Defence, Defence Research and Development Organisation, Senior Assistant (Hindi) and Assistant (Hindi) Group 'B' posts Recruitment(Amendment) Rules, 2018.